न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

दावा 30/2019

निर्णय **दिनांक 17.03.2021**

अहमदशाह बनाम शौकतशाह

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादीगण अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादीअधिवक्ता को शाम 5:30 बजे तक बार–बार आवाज लगवाई गई। बार–बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत है। आदेश दिनांक 15.01.2021 की पालनार्थ साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं की गई है। निरन्तर अवसरों के उपरान्त भी दिनांक 10.02.2021, 19.02.2021 व 02.03.2021 को अनपस्थित रहते हुये आज भी अनुपस्थित है। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी अब प्रकरण के सन्दर्भ में इच्छुक नहीं है जिससे साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी तथा साक्ष्य के आभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
आमेर मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:27:06 IST
Reason: SelfAttested